



PROTOCOL FOR THE ESTABLISHMENT OF THE INDIA – ECUADOR JOINT ECONOMIC AND TRADE COMMITTEE (JETCO)

1. The Establishment of the JETCO

Within the framework of the Memorandum of Understanding on Economic Cooperation between India and Ecuador, signed in Quito, on the 19 of April 2013, the Department of Commerce of the Government of India and the Ministry of Foreign Trade of the Republic of Ecuador (hereinafter referred to as the “Parties”) have decided to establish the India – Ecuador Joint Economic and Trade Committee [JETCO].

In this context, the two sides will meet regularly to discuss matters of concern and interest in trade and investments with the aim of further improving, deepening and strengthening the existing trade relationship between India and Ecuador.

2. Framework and Purpose of the Committee

Recognizing that the two countries are members of the World Trade Organization (WTO), and considering their common interest in promoting trade, economic and technical cooperation on the basis of mutual advantage, the two sides agreed that the Committee will function as the primary forum for discussion and other promotional activities on trade and investment issues such as:

- I. Sharing best practices on compliance with technical regulations and sanitary and phyto—sanitary measures, technical barriers to trade and consumer preferences to improve product quality.
- II. Enhancing cooperation by means of technical assistance, joint studies, organization of training programs, and exchange of



information, expertise and experts, organizing seminars, conferences and meetings.

III. Improving the regulatory environment to encourage bilateral trade, and addressing misperceptions about the application and enforcement of standards and procedures.

IV. Considering options for the integration of business representatives and/or trade organizations into the JETCO process.

V. Raising awareness of the business and trade opportunities in both countries focusing on key sectors.

In this context, the Committee may prepare action plans to cover subjects of mutual interest. The Committee is entitled to establish sub-committees to lay out proposals and recommendations to improve the trade, investment and economic relations between the two countries. The sub-committees shall report on their activities to the Committee.

3. Operating Mechanisms

The Committee will comprise high level representatives of relevant institutions (Ministry of Foreign Trade from Ecuador and Ministry of Commerce and Industry from the Republic of India), and with a provision to include experts and advisers (including business representatives) as both sides may decide from time to time through mutual consultations. The Committee will be co-chaired by the Secretary Department of Commerce of Government of India and Vice Minister of Trade of the Government of the Republic of Ecuador. They in turn can nominate senior officials to represent them through mutual consent if situation so warrants.

The Committee will meet once in every two years, on mutually agreed date, alternately in India and Ecuador. However, any of the Parties may



call a meeting of the Committee after consultation with the other Party about the availability of dates.

The Committee will report to both Ministries or their representatives.

The Committee will present a joint statement at a brief joint press conference immediately after each meeting.

Done and signed on the 9th of October, 2015 in New Delhi, India, in two originals, each in English and Spanish, both texts being equally authentic. In case of divergence in the interpretation of this Protocol, the English text shall prevail.

The present Protocol shall enter into force on the date of its signature.

Mrs. Rita Teatota
Secretary
Department of Commerce
Ministry of Commerce & Industry
India

Mr. Méntor Villagómez
Ambassador of Ecuador to India
Ecuador



भारत - इक्वाडोर संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति (जेईटीसीओ) की स्थापना संबंधी प्रोटोकॉल

1. जेईटीओसी की स्थापना

दिनांक 19 अप्रैल 2013 को क्विटो में भारत तथा इक्वाडोर के बीच हस्ताक्षरित आर्थिक सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन के कार्यद्वारे के भीतर भारत सरकार के वाणिज्य विभाग और इक्वाडोर गणराज्य के विदेश व्यापार मंत्रालय (जिन्हें एतदपश्चात " पक्षकार " कहा गया है) ने इक्वाडोर संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति (जेईटीसीओ) की स्थापना करने का निर्णय लिया है ।

इस संदर्भ में, दोनों पक्ष भारत तथा इक्वाडोर के बीच मौजूदा व्यापार संबंध को बेहतर तथा सुदृढ़ बनाने के लक्ष्य से व्यापार तथा निवेश के क्षेत्र में चिंता एवं हित के मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए नियमित रूप से बैठकें करेंगे ।

2. समिति का कार्यद्वारा एवं उद्देश्य

इन दोनों देशों के विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का सदस्य होने और परस्पर लाभ आधार पर व्यापार, आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग संवर्धन में दोनों के साझे हित को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि यह समिति व्यापार एवं निवेश संबंधी निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा तथा अन्य संवर्धनात्मक कार्यकलापों हेतु प्रमुख मंच के रूप में कार्य करेगी :

- i. उत्पाद गुणवत्ता में सुधार के लिए तकनीकी विनियमों, स्वच्छता एवं पादप - स्वच्छता उपायों, व्यापार संबंधी तकनीकी बाधाओं तथा उपभोक्ता की प्राथमिकताओं के अनुपालन के संबंध में सर्वोत्तम पद्धतियों का आदान - प्रदान ।
- ii. तकनीकी सहायता, संयुक्त अध्ययनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन, सूचना, विशेषज्ञता एवं विशेषज्ञों के विनिमय, संगोष्ठियों, सम्मेलनों तथा बैठकों के आयोजन के माध्यम से सहयोग बढ़ाना ।
- iii. द्विपक्षीय व्यापार को प्रोत्सहित करने के लिए विनियामक परिवेश को बेहतर बनाना और मानकों एवं प्रक्रियाओं के प्रयोग तथा प्रवर्तन संबंधी गलत अवधारणाओं को दूर करना ।



- iv. जेईटीसीओ प्रक्रिया में व्यापार प्रतिनिधियों और/अथवा व्यापार संगठनों के समेकन हेतु विकल्पों पर विचार करना ।
- v. प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए दोनों देशों में व्यवसाय एवं व्यापार के अवसरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना ।

इस संदर्भ में, समिति परस्पर हित के विषयों को शामिल करने के लिए कार्ययोजनाएँ तैयार कर सकती है । समिति दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश एवं आर्थिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार करने तथा सिफारिशें देने हेतु उप - समितियों की स्थापना करने का अधिकार रखती है । वे उप - समितियों अपने कार्यकलापों की सूचना समिति को देंगी ।

3. प्रचालन तंत्र

इस समिति में संगत संस्थानों (इक्वाडोर से विदेश व्यापार मंत्रालय और भारत गणराज्य से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि शामिल होंगे और दोनों पक्षों द्वारा परस्पर परामर्श के माध्यम से समय - समय पर लिए गए निर्णय के अनुसार विशेषज्ञों और परामर्शदाताओं (व्यावसायिक प्रतिनिधियों सहित) को शामिल करने का प्रावधान होगा । समिति की अध्यक्षता भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के सचिव तथा इक्वाडोर गणराज्य सरकार के उपमंत्री, व्यापार द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी । आवश्यकता होने पर वे परस्पर सहमति द्वारा अपने प्रतिनिधित्व के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को नामित कर सकते हैं ।

समिति की बैठक दो वर्ष में एक बार परस्पर सहमत तारीख को भारत तथा इक्वाडोर में बारी - बारी से होगी । तथापि, कोई भी पक्ष तारीख की उपलब्धता के संबंध में दूसरे पक्ष से परामर्श करके समिति की बैठक बुला सकता है । समिति दोनों मंत्रालयों अथवा उनके प्रतिनिधियों को रिपोर्ट करेगी ।



समिति प्रत्येक बैठक के तुरंत बाद संयुक्त प्रेस सम्मेलन में एक संयुक्त वक्तव्य प्रस्तुत करेगी।

दिनांक 9 अक्टूबर, 2015 को नई दिल्ली, भारत में अंग्रेजी तथा स्पैनिश दोनों भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में निष्पादित एवं हस्ताक्षरित। दोनों पाठ समान रूप से अधिप्रमाणित होंगे। इस प्रोटोकॉल की व्याख्या में असमानता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

वर्तमान प्रोटोकॉल उस पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से लागू होगा।

श्रीमती रीता तेवतिया
सचिव
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत

श्री मॅटर विलागोमेज
भारत में इक्वाडोर के राजदूत
इक्वाडोर